फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मनोहरलाल **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 14/20**

जीसीएमएस : 2020/00051

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार उप.। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर जवाब नहीं देना चाहकर प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पिता/दादा स्व. श्री हीरा जी खटीक द्वारा महाराजा साहब सनवाड से बिल एवज रूपया 71/– अदा कर पट्टा नम्बर 88 सम्वत् 2008 का सावण वीद तीज दिनांक 06.08.1951 से प्राप्त करना बताकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 2 नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के बाद से ही सरकार के नाम दर्ज हैं। वर्तमान में प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। यदि विपक्षी खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो खातेदार के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (FT) मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested